



हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

दिसंबर 2023

कार्य सूची

19 दिसम्बर 2023

1. प्रश्न।

(1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

2. शून्य काल।

3. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।

(1)

एक प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मर्दों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक मंत्री नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

4. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।

(1)

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

5. सदन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 15.12.2023 को प्रस्तावित राज्य गीत के चयन से संबंधित सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा का पुनरारम्भण।

6. ध्यानाकर्षण सूचनाएं।

(1)

- (i) **ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-14** जिसकी सूचना **श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई है। जींद जिले में राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित।
- (ii) **ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-22 श्री बलराज कुंडू, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई, माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 पर सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ क्लब कर दिया गया है। चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।
- ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-28 जिसकी सूचना-(i) श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.,(ii) श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.,(iii) श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.** माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा भी प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14
- (iii) (iv) **श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई है, को समान/समरूप पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ क्लब कर दिया गया है।
- (iv) **ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-34 श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई, माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 पर सूचना को समान /समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ क्लब कर दिया गया है। चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

7. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज पत्र।

(1)

एक भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 01/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 16 फरवरी, 2018 मेज पर रखेंगे।

(2)

एक भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 02/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 16 फरवरी, 2018 मेज पर रखेंगे।

(3)

एक भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 03/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 16 फरवरी, 2018 मेज पर रखेंगे।

(4)

एक भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 04/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 7 अगस्त, 2018 मेज पर रखेंगे।

(5)

एक भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 05/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2018, दिनांकित 7 अगस्त, 2018 मेज पर रखेंगे।

(23)

एक भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 22/आर.ई.आर.ए. जी.जी.एम. विनियमन 2021, दिनांकित 21 अगस्त, 2021 मेज पर रखेंगे।

(24)

एक भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम मंत्री आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 331/आर.ई.आर.ए. पी.के.एल/2018, दिनांकित 9 फरवरी, 2018 मेज पर रखेंगे।

(25)

एक भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम मंत्री आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 332/आर.ई.आर.ए. पी.के.एल/2018, दिनांकित 9 फरवरी, 2018 मेज पर रखेंगे।

(26)

एक भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम मंत्री आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 333/आर.ई.आर.ए. पी.के.एल/2018, दिनांकित 9 फरवरी, 2018 मेज पर रखेंगे।

(27)

एक भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम मंत्री आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 2694/आर.ई.आर.ए. पी.के.एल/2019, दिनांकित 16 जुलाई, 2019 मेज पर रखेंगे।

(28)

एक हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 24(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या एमआईएससी -454/2023/7/1/2023-2 टीसीपी दिनांकित 24 जुलाई, 2023 मेज पर रखेंगे।

(29)

एक भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर तथा ग्राम मंत्री आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 1082/आर.ई.आर.ए. पी.के.एल/2018, दिनांकित 16 मई, 2018 मेज पर रखेंगे।

(30)

एक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा सड़क मंत्री तथा सेतु विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आर.डी.सी) की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(31)

एक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए हरियाणा भूमि-मंत्री सुधार तथा विकास निगम लिमिटेड की 45वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(32)

एक हरियाणा भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(11) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए मंत्री हरियाणा भाण्डागारण निगम की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(33)

एक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा मास मंत्री रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(34)

एक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की 39 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(35)

एक जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार न्यायमूर्ति एल.एन. मित्तल (सेवानिवृत्त), पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, जाँच आयोग तथा कार्रवाई रिपोर्ट, के द्वारा सौंपी गई जाँच रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

8. विधायी कार्य ।

(1) प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किया जाने वाले विधेयक

(2)

हरियाणा विनियोग
(संख्या 5) विधेयक,
2023.

एक हरियाणा विनियोग (संख्या 5) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग मंत्री (संख्या 5) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(3)

हरियाणा विनियोग
(संख्या 6) विधेयक,
2023.

एक हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग मंत्री (संख्या 6) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

Chandigarh-160001
दिनांक:१८ दिसम्बर २०२३

राजेन्द्र कुमार नांदल
सचिव
हरियाणा विधान सभा